



**Office of the District Basic Education Officer
GHAZIPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **DALIMSS SUNBEAM SCHOOL, RAKASAHAN DILDARNAGAR GHAZIPUR** **UP** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to DALIMSS SUNBEAM SCHOOL is **1178-83/2018-19**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

01-01-2025(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

1178-83/2018-19

DATE:- 01-01-2025

PLACE:- GHAZIPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by HEMANT RAO
Date: 2025.01.01 17:23:21
Reason: For Digital Signature
Location: GHAZIPUR

Principal
Dalimss Sunbeam School
Rakasahan, Dildarnagar-Ghazipur U.P.

Manager
Dalimss Sunbeam School
Rakasahan Dildarnagar
Ghazipur

Note : This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांक: मान्यता/ 1178-83

/2018-19

दिनांक 24 मई, 2018

**प्रबन्धक,
डालिमस सनबीम स्कूल,
रक्सहाँ, दिलदारनगर
विकास खण्ड- भदौरा, गाजीपुर।**

विषय: निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रत्येक वर्षीय पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं डालिमस सनबीम स्कूल, रक्सहाँ, दिलदारनगर, विकास खण्ड- भदौरा, गाजीपुर को तारीख 24.05.2018 से तारीख 23.05.2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा-08 (आठ) तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनुमति मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक अल्प-पढ़ोस के कमजोर व और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का संकट न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या भौतिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशुल्कता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यून अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन किनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित अधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal
Dalimss Sunbeam School
Raksahan, Dildarnagar
Ghaziipur

- 1 -

Manager

DALIMSS SUNBEAM SCHOOL
Raksahan, Dildarnagar-Ghaziipur-232326

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में क्याविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और तनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुधियां निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	- 190841.20 वर्ग फिट।
कुल निर्मित क्षेत्र	- 20825.10 वर्ग फिट।
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	- उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	- बाईस (22)
प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-माहगागर के लिए कक्षा	- दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	- उपलब्ध
पेयजल सुविधा	- उपलब्ध
मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई	- उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	- उपलब्ध
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता	- उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक च्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या L-8 (E) 418/2018 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

24/05/11

(श्रवण कुमार मुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/

2018-19

उद्दिष्ट

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
- 4- विद्वत् एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
- 6- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।